न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 158/2025 (GCMS: 2025/234)

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री गुरप्रीत सिंह** पुत्र श्री गुरनाम राम निवासी 11 वाई तहसील गंगानगर, मोबाईल नम्बर 73003–37072
2. **श्री रोहत** पुत्र श्री राजकुमार निवासी पदमपुर मोबाईल नम्बर 74108–26489
3. **फर्म गुरप्रीत टायर वर्क्स,** शॉप एण्ड डीजी करणपुर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलजीत सिंह, परमजीत सिंह एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 04.04.2025 को अवैध डीजल/पेट्रोल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ करणपुर रोड़ स्थित दुकान/फर्म गुरप्रीत टायर वर्क्स शॉप एण्ड डीजे श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना परिचय रोहित पुत्र श्री राजकुमार बताया तथा दुकान अपने मामा श्री गुरप्रीत पुत्र श्री गुरनाम राम आयु 25 वर्ष जाति रविदासियां निवासी 11 वाई तहसील गंगानगर की होना बताया तथा स्वयं को उक्त दुकान में सहायक होना बताया। मौके पर रोहित की उपस्थिति में जांच की गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि दुकान की जांच करने पर दुकान में 01 प्लास्टिक की कैनी में 07 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कीप पाई गई। अप्रार्थी ने उक्त प्लास्टिक कैनी में पेट्रोल से भरी पायी गयी।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर जांच व भौतिक सत्यापन करने पर प्लास्टिक कैनी में 07 लीटर पेट्रोल भरा पाया गया। पूछताछ करने पर रोहित पुत्र राजकुमार ने उक्त पेट्रोल मय कैनी स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर पेट्रोल से संबंधित कोई बिल आदि भी नहीं [illegible]या। रोहित पुत्र राजकुमार ने पंजाब से सस्ते दाम पर [illegible]ंगी रोड़, श्रीगंगानगर पर स्थित उक्त दुकान पर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि [illegible]र्थी ने मौके पर पेट्रोल [illegible] बेचान/भण्डरण करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

गया। इसलिए बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 7 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 01 प्लास्टिक की कीप को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी गुरप्रीत एवं रोहित ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल **(प्रदाय और वितरण कर विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है।** इसलिए उक्त 07 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 01 प्लास्टिक की कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 04.04.2025 को अप्रार्थी की दुकान फर्म गरुप्रीत टायर वर्क्स एण्ड डीजे, श्रीकरणपुर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर को जांच हेतु पहुंचे तथा प्रार्थी की दुकान पर रखा 07 लीटर पेट्रोल मय 01 प्लास्टिक कैनी एवं प्लास्टिक कीप जब्त की गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त कार्यवाही के समय अप्रार्थी गुरप्रीत दुकान पर नहीं था तथा दुकान पर प्रार्थी का भांजा रोहित था। अप्रार्थी एक मोटर साईकिल आदि सर्विस करने का कार्य रकता है जिस कारण अप्रार्थी पेट्रोल से वाहन को साफ करता है और उसके पश्चात वाहन की सर्विस कर पेट्रोल को कीप से वाहन में डालकर वाहन को चलाकर देखकर वाहन में रखी कमियों को दूर करता है। जिस कारण प्रार्थी को पेट्रोल की हर समय आवश्यकता रहती है। इस कारण ही अप्रार्थी द्वारा केवल मात्र 07 लीटर पेट्रोल, कैनी व कीप अपनी दुकान पर रखा हुआ था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के पास स्वयं के दो मोटर साईकिल है जिस हेतु भी प्रार्थी को पेट्रोल की आवश्यकता रहती है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से पेट्रोल विक्रय करने का कार्य नहीं किया जाता है। उक्त पेट्रोल प्रार्थी द्वारा केवल मात्र वाहन की सर्विस करने, वाहनों को साफ करने व उसके पश्चात वाहनों में डालकर चैक करने व अ... में डालने हेतु रखा हुआ था। इसलिए प्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 04.04.2025 को अवैध डीजल/पेट्रोल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ गुरप्रीत टायर वर्क्स शॉप एण्ड डीजे, श्रीगंगानगर स्थित दुकान पर पहुंचे, वहां उपस्थित व्यक्ति ने अपना परिचय रोहित पुत्र राजकुमार दिया। दुकान की जांच करने पर वहां में 07 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 01 प्लास्टिक की कीप पाये गये। वक्त पूछताछ रोहित ने उक्त समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित कोई बिल आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया। रोहित पुत्र राजकुमार ने बताया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल–पेट्रोल का बेचान गुरप्रीत टॉयर वर्क्स शॉप एण्ड डीजे, करणपुर रोड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर बेचान करता है। वक्त पूछताछ मौके पर रोहित पुत्र राजकुमार द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 07 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 01 प्लास्टिक की कीप को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। अप्रार्थी रोहित पुत्र गुरप्रीत ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल **(प्रदाय और वितरण कर विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का उल्लंघन करने के कारण** 07 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 01 प्लास्टिक की कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी [illegible] 04.04.2025 को 07 लीटर पेट्रोल एवं अन्य सामग्री [illegible] जब्त की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागज[illegible]/अनुमति/अनुज्ञापत्र/बिल या अन्य अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है,।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश** 2000 के अनुसार पेट्राल विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता होती है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय हेतु अधिकृत अनुज्ञप्ति (License) न होने के बावजूद भी पेट्रोल का विक्रय किया गया है। **यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी के पास भी किसी प्रकार की कोई क्रय / विक्रय / भण्डारण / परिवहन करने की कोई अनुज्ञप्ति पेश नहीं की है। इसलिए इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण और उसकी फर्म / दुकान गुरप्रीत टायर वर्क्स शॉप एण्ड डीजे करणपुर रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर अवैध कारोबार में लिप्त है।** इसलिए उक्त अप्रार्थीगण से जब्तशुदा 07 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री **राजसात करने योग्य ठहरते है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 और मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 02(थ), 3(4), 04 के** प्रावधानों की अवेहलना के कारण **जब्तशुदा 07 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात किये जाते है।**

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangal & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvind Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 07 पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 07 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ [illegible] जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:06 IST
Reason: Self Attested

यह आदेश आज दिनांक 22.[illegible] को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर